न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 206 / 2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
शाखा कार्यालयः– आदर्श नगर, अजमेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....**प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)**

बनाम

(1). श्री शम्भू पुत्र श्री देवकरण,
निवासीः– 80, हथाई के पास, जसवन्तपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
(2). श्री देवकरण पुत्र श्री गोपी,
निवासीः– 80, हथाई के पास, जसवन्तपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
(3). श्रीमती न्यालीदेवी पत्नि श्री देवकरण,
निवासीः– 80, हथाई के पास, जसवन्तपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व पट्टा नम्बर 13, ग्राम लोहरवाडा, ग्राम पंचायत लोहरवाडा, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
(4). श्री गोवर्धन पुत्र श्री कन्हैया,
निवासीः– 73, मन्दिर कि पास, जसवन्तपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
.....**अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 02.12.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 से 03 को दिनांक 07.08.2014 को रू 7,50,000 / –(अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम लोहरवाडा, श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 13 की आवासीय सम्पति, क्षैत्रफल 184.45 वर्गगज है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय नसीराबाद में दिनांक 15.02.2013 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 141 कम सख्या 375 पृष्ठ सं. 124 से निल पर पंजीबद्व किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 204 पेज कमांक 1448 से 1451 पर दिनांक 15. 02.2013 चस्पा किया गया है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –श्री देवकरण व रामलाल का बाडा, पश्चिम –श्री शैतान का बाडा, उत्तर– श्री लालाराम का मकान व रास्ता, दक्षिण –श्री देवकरण का बाडा व रास्ता, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–3,79,745 / – (अक्षरे तीन लाख उन्यासी हजार सात सौ पैंतालीस रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम लोहरवाडा, श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 13 की आवासीय सम्पति, क्षैत्रफल 184.45 वर्गगज है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय नसीराबाद में दिनांक 15.02.2013 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 141 क्रम सख्या 375 पृष्ठ सं. 124 से निल पर पंजीबद्व किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 204 पेज क्रमांक 1448 से 1451 पर दिनांक 15.02.2013 चस्पा किया गया है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –श्री देवकरण व रामलाल का बाडा, पश्चिम –श्री शैतान का बाडा, उत्तर– श्री लालाराम का मकान व रास्ता, दक्षिण –श्री देवकरण का बाडा व रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner